संख्या-423/2025/आई/1106343/23-1-25/011-23-1002(002)/111/2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 30 सितम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 27 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 27 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 4195.52 लाख (रूपये इकतालीस करोड़ पंचानबे लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0 सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	17082/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2025-26	30-09-2025
2	17077/CE-HQ1/RSN5054/MBD/2025-26	30-09-2025
3	17076/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	30-09-2025
4	17072/CE-HQ1/RSN5054/AGR/2025-26	30-09-2025
5	17070/CE-HQ1/RSN5054/BAS/2025-26	30-09-2025
6	17043/CE-HQ1/RSN5054/AGR/2025-26	30-09-2025
7	17074/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	30-09-2025
8	17071/CE-HQ1/RSN5054/MIR/2025-26	30-09-2025
9	17066/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	30-09-2025
10	17063/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	30-09-2025
11	17047/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	30-09-2025
12	17042/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	30-09-2025
13	17048/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2025-26	30-09-2025
14	17085/CE-HQ1/RSN5054/KNP/2025-26	30-09-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 बाराबंकी	गाजीपुर दरियाबाद नवाबगंज (अजिमा) लम्बाई 8.560 के चैनेज 11.890 से 20.450 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/ 876756/23-1-25/ 001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	1469.06 1458 823.6 376.63 1081.37	816.96	264.41	120.00
2	प्रा.ख. बारा बंकी	मोहम्मदपुर सिद्धौर कैसरगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	736 /2024/आई/ 836005/23-1-24 /001-23-1002(002)/204/2024 -दिनांक-28-12-2024	1669.13 1641.44 835 368.9 1272.54	689.83	582.71	217.36
3	प्रा.ख. बारा बंकी	छतौरा कोठी धौरहरा मंगलपुर गुरूदत्तखेड़ा मार्ग(अजिमा) के कि0मी0 11, 12, 13 एवं 14 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/ 876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	792.39 770.21 392.2 150 620.21	428.07	192.14	109.32
4	प्रा.ख. अमेठी	अमेठी किठावर अन्य जिला मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2024/आई/ 516897/23-1-24/001-23-1002(002)/52/2024 -दिनांक-12-03-2024	3619.55 3619.55 1887.54 694.66 2924.89	1823.99	1100.90	320.00
5	प्रा.ख. जालौन	उरई कोंच नदीगांव (प्रमुख जिला मार्ग 46 बी) के चैनेज 34.390 से 43.390 6में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	101 /2025/आई/ 885941/23-1-25/00 -23-1002(003)/ 1/2024 दिनांक 20.0 2.2025-दिनांक-20-02-2025	1907.11 1907.11 1003.63 241.14 1665.97	1212.63	453.34	222.00
6	नि.ख.-2 आगरा	एत्मादपुर बरहन से मुखवार नगला ताज चावली होते हुए बांस मोहन सराय आगरा जलेसर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	121/2025/आई/894 682/23-1-25/002-23-1002(002)/ 28/2025-दिनांक-28-02-2025	2751.98 2743.76 814.98 281.53 2462.23	542.46	1919.77	400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
7	नि.ख.-2 आगरा	रा0मा0-2 भागूपुर से अगवार नगला मनी गढी पृथ्वी लखनामई एवं ग्राम सिकतरा मार्ग (अ0जि0मा0) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	144 /2025/आई/ 910678/23-1-25/004-23-1002(003)/1/2024- दिनांक-19-03-2025	899.8 896.47 256.76 99.5 796.97	88.69	708.28	240.00
8	नि.ख.-2 फिरोजा बाद	टुण्डला कुतुकपुर चन्देश्वर मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	59 /2024/ 503480/23-1-24/001-23-1002 (002)/34 /2024 - दिनांक-23-02-2024	1417.65 1417.65 630.07 345 1072.65	748.76	323.89	120.00
9	प्रा.ख. बस्ती	बुधईपुर महुआपुर मरवटिया दुर्गा माता मन्दिर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 10.280 कि0मी0 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	118 /2024/आई/ 521634/23-1-24/001-23-1002(002) /51/2024-दिनांक-15-03-2024	2189.76 2189.76 1620.73 4.64 2185.12	1679.16	505.96	202.38
10	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में अकबरपुर शेरगढ़ मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी 0.000 से 8.500 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	86/2024/आई/5136 24/23-1-24/001-23-1002(002)/51/2024 -दिनांक-06-03-2024	2259.28 2259.28 1172.84 670.93 1588.35	1159.54	428.81	50.00
11	प्रा.ख. मैनपुरी	आलीपुर खेड़ा काली नदी मार्ग किमी0 1 से 8 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	782 /2024/आई/ 838168/23-1-24/001-23-1002(002)/254/202 4 दिनंाक 31.12.202 4-दिनांक-31-12-2024	1089.91 1088.79 556.59 105.68 983.11	388.47	594.64	180.00
12	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	एन0एच0-91 से सिकद्राबाद आबादी भाग (अन्य जिला मार्ग) के किमी 1 से 5 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई /876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	961.46 961.46 466.16 304.31 657.15	299.09	358.06	120.00
13	प्रा.ख. मुरादाबाद	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून के	45 /2024/आई/ 495524/23-1-24/001-23-	3249.74 3249.74 1601.61 845.7 2404.04	1310.11	1093.93	120.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		चैनेज 0.000 से 22.500 तक सतह सुधार का कार्य।	1002(002)/3/2024 - दिनांक-14-02-2024				
14	प्रा.ख. हमीरपुर	मौदहा चैंक इंगोहटा मार्ग के चैनेज 0.000 से 5.700 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	666/2024/आई/816052/23-1-24/001-23-1002(002)/197/2024-दिनांक-06-12-2024	911.37 911.37 534.97 127.11 784.26	398.02	386.24	120.00
15	प्रा.ख. गोरखपुर	उरूवा धुरियापार शाहपुर बेलघाट मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	269 /2024 /आई /693973/23-1-24/001-23-1002(002)/132/2024, 660 /2024/आई/808748/23-1-24/23-1002(002)/268/2023 दि0 28.11.24 द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति।- दिनांक-17-07-2024	5768.54 5768.54 3071.58 1470 4298.54	2381.59	1916.95	224.28
16	प्रा.ख. गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में शंकरपुर कम्हरियाघाट मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	63 /2025/आई/864922/23-1-25/002-23-11099(002)/168/2024 -दिनांक-29-01-2025	1723.06 1723.06 792.56 188.29 1534.77	843.39	691.38	72.56
17	नि.ख.-2 प्रतापगढ़	कन्हैयानगर त्रिलोकपुर रामवनगमन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	164 /2025/आई/918927/23-1-25/002-23-1002(002)/222/2024-दिनांक-26-03-2025	1622.1 1532.83 1190.56 4.79 1528.04	343.61	1184.43	324.42
18	नि.ख.-3 प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में गौहानी बारा मार्ग (अ0जि0मा0) के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	121/2025/आई/894682/23-1-25/002-23-1002(002)/28/2025-दिनांक-28-02-2025	1015.32 1015.32 523.04 57.9 957.42	580.88	376.54	197.20
19	प्रा.ख. प्रयागराज	लोकपुर खरखौनी सम्पर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	44/2024/आई/491625/23-1-24/001-23-1002(002)/22/2024 -दिनांक-09-02-2024	182.05 182.05 105.32 52.89 129.16	122.7	6.46	6.46
20	प्रा.ख. प्रयागराज	चैरा से खरकौनी होते हुये नये पुल तक सम्पर्क मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	44/2024/आई/491625/23-1-24/001-23-1002(002)/22/2024 -दिनांक-09-02-2024	123.51 123.51 73.72 33.21 90.3	85.79	4.51	4.51

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
21	प्रा.ख. प्रयागराज	भीरपुर भगनपुर मार्ग के राइडिंग क्वालिटी सुधार का कार्य।	51 /2024/आई/ 495937/23-1-24/001-23-1002(002)/27/2024 -दिनांक-15-02-2024	527.17 527.17 290.84 134.25 392.92	326.6	66.32	53.00
22	प्रा.ख. प्रयागराज	चक लाल मोहम्मद पेट्रोल पम्प (रीवा रोड) से एफ0सी0आई0 मुख्य मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	77 /2024/आई /510585/23-1-24/001-23-1002(002)/49 /2024 -दिनांक-04-03-2024	286.59 286.59 164.54 86.02 200.57	190.54	10.03	10.03
23	नि.ख. सहारनपुर	सहारनपुर-बड़गांव मार्ग से शब्बीरपुर, महेशपुर, कृपाल आश्रम, किशनपुरा होते हुए बड़गांव जडौदा पाण्डा (अन्य जिला मार्ग) तक मार्ग के चैडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	84 /2024/आई/513525 /23-1-24/001-23-1002(002)/53/2024 -दिनांक-06-03-2024	1293.09 1293.09 631.88 91.32 1201.77	803.18	398.59	180.00
24	नि.ख.-1 मुजफ्फरनगर	वित्तीय वर्ष 2024-25 में भोपा रोड से गांधी कॉलोनी मार्ग में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	731 /2024/आई/ 836011/23-1-24 /001-23-1002(002)/208/2024 -दिनांक-28-12-2024	649.57 649.57 160.99 49.48 600.09	203.64	396.45	90.00
25	नि.ख.-1 मुजफ्फरनगर	वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत दधेड़ू मोती झील मार्ग को 02 लेन विद पेप्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	731 /2024/आई/ 836011/23-1-24 /001-23-1002(002)/208/2024 -दिनांक-28-12-2024	918.5 918.5 446.08 199.12 719.38	429.84	289.54	72.00
26	प्रा.ख. भदोही	पाली सुरियावां मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	69/2025/आई/867897/23-1-25/002-23-1002(002)/242/2024-दिनांक-31-01-2025	1089.38 1089.38 547.32 41.39 1047.99	266.09	781.90	300.00
27	नि.ख.-1 पीलीभीत	वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत खमरिया कनाकोर उमरसड	735 /2024/आई/ 836004/23-1-24 /001-23-	1516.51 1516.51 1200.06 13.28	566.07	937.16	120.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		(अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0 0.000 से 11.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1002(002)/206/2024 -दिनांक-28-12-2024	1503.23			
						कुल योग	4195.52

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 41,95,52,000/- (रूपये इकतालीस करोड़ पंचानबे लाख बावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या-423/2025/आई/1106343(1)/23-1-25/011-23-1002(002)/111/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in